



टी बोर्ड भारत

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन, भारत सरकार
14,बी.टी.एम.सरणी (ब्रेबोर्न रोड) कोलकाता-700001

www.teaboard.gov.in

दिनांक: 03.05.2024

कार्यालय ज्ञापन सं 56/2024

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री अमल कुमार बनिक (बी-267), एमटीएस, मुख्यालय कोलकाता से संबद्ध, 14.02.2025 को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करेंगे। टी बोर्ड उप-नियम, 1955 (यथा संशोधित) के उप-नियम 30 के अनुसार, एफआर 56(ए) के साथ पढ़ा जाता है, उन्हें 28.02.2025 के अपराह्न से बोर्ड की सेवाओं से सेवानिवृत्त किया जाएगा।

श्री बनिक अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख से पहले, नियमों के तहत सभी प्रकार के अवकाश का लाभ उठा सकते हैं जिसके वे हकदार हैं, जिसमें परिवर्तित/अर्धवेतन अवकाश भी शामिल है। तथापि, यदि वह भारत के भीतर बिताते हैं तो उन्हें एक बार में 300 दिनों से अधिक अर्जित अवकाश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

दिनांक 25.09.2008 को जारी भारत सरकार कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण के का.ज्ञा.संख्या 14028/3/2008-स्था(एल) के अनुसार यदि वह चाहे तो उन्हें सेवानिवृत्ति के समय अर्जित अवकाश और अर्धवेतन अवकाश की अवधि के संबंध में अवकाश वेतन के समतुल्य नकद भुगतान भी किया जा सकता है (बशर्ते कुल अर्जित अवकाश और अर्धवेतन अवकाश 300 दिनों से अधिक नहीं होगा)।


(आशीष देब)

सहायक सचिव (प्र)

वितरण:

1.	श्री अमल कुमार बनिक (बी-267), एमटीएस, टी बोर्ड, मुख्यालय, कोलकाता	
2.	वि.स एवं मु.ले.अ.	
3.	सुरक्षा अधिकारी	
4.	लेखा अधिकारी (प्र) [तीचौ/जेएजी]	
5.	अवकाश शाखा	
6.	प्रभारी, पेंशन व पीएफ शाखा	
7.	सचिवालय शाखा	
8.	आईटी कक्ष	बोर्ड के वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित
9.	टीबीइए	
10.	टी बोर्ड कर्मचारी सहकारी समिति लिमिटेड, कोलकाता	
11.	स्थापना शाखा	अतिरिक्त प्रतियाँ सहित

संदर्भ. फाइल सं.स्था/पीआर/बी-267